प्रेस विज्ञप्ति

जनपदः-बस्ती

दिनांक:- 14.01.2021

थाना छावनी अन्तर्गत दिनांक 09.01.2021 को हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकाण्ड मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार व लूट के छःलाख पचास हजार रूपये बरामद-

---

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री हेमराज मीना के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री रवीन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी हर्रैया श्री शेषमणि उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक छावनी श्री विकास यादव मय टीम द्वारा दिनांक 09.01.2021 को हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकाण्ड में थाना छावनी में पंजीकृत मु0अ0सं0 10/2021 धारा 302,394,120B,411,413 IPC में वांछित अभियुक्त मनीष यादव पुत्र प्रहलाद यादव ग्राम गोसीखेड़ा थाना बारा सगवर जनपद उन्नाव को दिनांक 13.01.2021 समय करीब 13.35 बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से लूट के छःलाख पचास हजार रूपये (6,50,000 रू0) बरामद किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. मनीष यादव पुत्र प्रहलाद यादव ग्राम गोसीखेड़ा थाना बारा सगवर जनपद उन्नाव।

बरामदगी का विवरण –

1.छःलाख पचास हजार रूपये (6,50,000 रू0)।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री अनिल कुमार राय व पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री हेमराज मीना के आदेश के क्रम में थाना छावनी अन्तर्गत दिनांक 09.01.2021 को घटित सनसनीखेज तिहरे हत्याकाण्ड के अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती एवं क्षेत्राधिकारी हर्रैया के नेतृत्व में थाना प्रभारी छावनी, हर्रैया एवं स्वाट/सर्विलांस की चार टीमो का गठन किया गया। इस घटना के खुलासे हेतु गठित टीमो द्वारा सुनियोजित तरीके से कार्यवाही करते हुए घटना स्थल से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन किया गया और उसके पश्चात सर्विलांस टीम द्वारा सी.डी.आर का विश्लेषण एवं अन्य टीमो के द्वारा टोलप्लाजा व अन्य स्थानो के सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से साक्ष्यो का संकलन करके लगातार अनवरत प्रयास करके इस सनसनीखेज तिहरे हत्याकाण्ड का अनावरण करते हुए दिनांक 10.01.2021 को समय करीब 15.45 बजे कवलपुर थाना क्षेत्र छावनी के पास से घटना में संलिप्त 03 अभियुक्त 1.अजीत सिंह उर्फ कल्लू पुत्र देशराज निवासी इन्दे मऊ थाना बीघापुर जनपद उन्नाव, 2. अरूण कुमार यादव उर्फ गोलू पुत्र प्रहलाद यादव निवासी गोसीखेड़ा थाना बारासगवर जनपद उन्नाव, 3.शील कुमार मौर्या उर्फ शीलू पुत्र राम दयाल मौर्या निवासी भानीपुर थाना सैनी जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया था।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक छावनी श्री विकास यादव द्वारा मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अभियुक्त गोलू यादव उर्फ अरूण व अजीत सिंह उर्फ कल्लू पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्त गण के निशान देही पर ग्राम गोसीखेड़ा पहुंचे, जहाँ पर गोलू यादव ने अपने बडे भाई मनीष यादव को छःलाख पचास हजार रूपये एक बैग में करके देने की बात बताई । गोसीखेड़ा पहुँचने पर अभियुक्त मनीष यादव से रूपये के बारे में पूछा गया तो पहले आनाकानी करने लगा फिर गोलू यादव द्वारा पैसे के बारे में बताने पर अभियुक्त मनीष यादव द्वारा अपने घर के भुसौले में पहुंचकर भूसे में से करीब दो हाथ नीचे छिपाकर रखे बैग को निकाल कर दिया गया। बैग को जब खोलकर देखा गया तो पांच-पांच सौ की तेरह गड्डी रबड लगी हुई है गिनती किया गया तो प्रत्येक गड्डी में पांच-पांच सौ के सौ-सौ नोट पाये गये इस प्रकार कुल 6,50,000/- रुपये बरामद हुआ तथा बैग के दूसरे पार्ट में देखा गया तो राजकुमार पुत्र छोटे लाल ग्राम दुर्जन खेड़ा थाना बीघापुर जनपद उन्नाव के आधार कार्ड की फोटो कापी पायी गई,जिससे यह विश्वास हो गया कि यह रूपये उक्त घटना की लूटी गई है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि यह बैग गोलू और अजीत सिंह ले आकर मुझको दिनांक 09.01.2021 को दिये और बताये थे कि इसमें लूट का पैसा है जिसका अभी बँटवारा नही हुआ है। इसको छिपाकर रखे रहना,बाद में हम लोग इस पैसो को बाँट लेगें। इसलिए मैने यह बैग छिपाकर रखा था।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1.प्रभारी निरीक्षक छावनी श्री विकास यादव मय टीम

2.थानाध्यक्ष हर्रैया श्री सर्वेश राय मय टीम

3.स्वाट प्रभारी श्री विनोद यादव मय टीम

4.सर्विलांस प्रभारी श्री जितेन्द्र सिंह मय टीम